भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
**राज्य सभा**
लिखित प्रश्न सं. 3181
गुरूवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन क्षेत्र का विकास**

**3181 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख संरचनात्मक और पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान की है, जिनमें "अंतिम-मील" संपर्क, कुशल मानव संसाधन की कमी और लोकप्रिय स्थलों की पारिस्थितिक वहन क्षमता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से पुरातात्विक स्थलों के विकास, तटीय/पहाड़ी स्थलों में आधारभूत अवसंरचना में सुधार और राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण के माध्यम से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संचालित योजनाओं की स्थिति और उनके विशिष्ट प्रभाव क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार स्वच्छता और स्थिरता के वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए स्थलों के प्रमाणीकरण हेतु कोई नई नीति प्रस्तावित करती है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', ‘स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)’, 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)’ - स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से तटीय/पहाड़ी गंतव्यों सहित देश भर में पर्यटन स्थलों पर अंतिम छोर तक संपर्कता सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है। यह वित्तीय सहायता, निधियों की उपलब्धता, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संबंधित योजना दिशानिर्देशों और समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अनुपालन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने आदि के अध्यधीन दी जाती है।

इनके अलावा, निम्नलिखित प्रयास भी किए गए हैं:-

(i) पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और उत्तरदायी गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एक उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' (सीबीडीडी) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस उप-योजना का उद्देश्य हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और उत्तरदायी गंतव्यों के रूप में परिवर्तित करने के लिए संपूर्ण पर्यटक मूल्य श्रृंखला में पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने हेतु गंतव्य का समग्र विकास करना है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास नामक योजना के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और टेम्पलेट जारी किए हैं।

(ii) केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारतीय पत्तन न्यास, रेल मंत्रालय आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पर्यटन स्थलों के विकास पर फोकस करती है, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, स्मारकों का संरक्षण, क्रूज टर्मिनलों का विकास, मौजूदा पर्यटन उत्पादों का विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप सुधार और उन्नयन।

(iii) पर्यटन मंत्रालय 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' नामक अपनी योजना के तहत देश भर में महिलाओं एवं पुरुषों, स्थानीय समुदायों, जनजातीय क्षेत्रों आदि से संबंधित प्रशिक्षुओं के कौशल, कौशल उन्नयन और पुनः कौशल के लिए आतिथ्य एवं पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रमाणन कोर्स संचालित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2025 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के माध्यम से सीबीएसपी योजना का एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया है। मूल्यांकन से इस बात की पुष्टि होती है कि सीबीएसपी योजना ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 1.68 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके और कई क्षेत्रों में 36,000 से अधिक लोगों को कार्य का अवसर देकर भारत के पर्यटन और आतिथ्य कार्यबल को काफी मजबूत किया है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन सृजक बाजारों में भारत को एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने और वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यहां विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है। इन उद्देश्यों को यात्रा व्यापार जगत, राज्य सरकारों तथा विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से एकीकृत विपणन एवं प्रचार संबंधी रणनीति और एक सामंजस्यपूर्ण अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन प्रचार संबंधी गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड शो, इंडिया इवनिंग, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना; भारतीय खाद्य और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना और उनमें सहायता देना; टूर ऑपरेटरों को ब्रोशर सहायता प्रदान करना, वैश्विक मीडिया अभियान और एयरलाइनों, टूर ऑपरेटरों और अन्य संगठनों आदि के साथ संयुक्त विज्ञापन/संयुक्त प्रचार करना शामिल है।

(v) पर्यटन मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ समन्वय से पर्यटन स्थलों के आसपास स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) तैयार की है। एसएपी के तहत, पर्यटकों, छात्रों और हितधारकों के लिए आईआईटीटीएम, सीआईएचएम, एसआईएचएम और एफसीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और प्रतीकात्मक अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय प्रतिवर्ष स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा के तहत राष्ट्रव्यापी स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप भी करता है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एसएपी के तहत 173, स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 350 और स्वच्छता ही सेवा के तहत 375 गतिविधियां आयोजित की गईं।

*****